अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल
संख्या– 5121 /9–1–2017–119रिट / 2011

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2017

विषय– नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यो के प्रबन्धन हेतु व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3420 / 9–1–2017–119रिट / 2011 दिनांक–15 जुलाई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों का सामान्य निर्वाचन 2017, सम्पन्न हो चुका है। नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके है एवं निकायें विधिवत् गठित हो चुकी है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 2017 को निरस्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन पूर्ण हो चुके नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के खातों का संचालन पूर्व की भॉति अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

3. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों के गठन की अधिसूचनाएं दिनांक 07.12.2017 निर्गत की गयी है। अतः निकायों के गठन की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर प्रदेश की समस्त नागर निकायों (नगर पंचायत सुबेहा, जनपद बाराबंकी, नगर पंचायत, कलीनगर, जनपद पीलीभीत एवं नगर पंचायत, रेनूकूट जनपद सोनभद्र को छोड़कर) में प्रथम बैठक आहूत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

23.12.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– समस्त अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
4– वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

EL 17-Go

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल
संख्या– 5121 /9–1–2017–119रिट / 2011

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2017

विषय– नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यो के प्रबन्धन हेतु व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3420 / 9–1–2017–119रिट / 2011 दिनांक–15 जुलाई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों का सामान्य निर्वाचन 2017, सम्पन्न हो चुका है। नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके है एवं निकायें विधिवत् गठित हो चुकी है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 2017 को निरस्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन पूर्ण हो चुके नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के खातों का संचालन पूर्व की भॉति अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

3. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों के गठन की अधिसूचनाएं दिनांक 07.12.2017 निर्गत की गयी है। अतः निकायों के गठन की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर प्रदेश की समस्त नागर निकायों (नगर पंचायत सुबेहा, जनपद बाराबंकी, नगर पंचायत, कलीनगर, जनपद पीलीभीत एवं नगर पंचायत, रेनूकूट जनपद सोनभद्र को छोड़कर) में प्रथम बैठक आहूत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– समस्त अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
4– वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

EL-17-Go